EX--- 1ट)ा-

(48)

रजिस्ट्री सं० डी० 221 3 (i) REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1973/आश्विन 6, 1895
No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1973/ASVINA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1973

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends the Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1965 (Punjab Act 14 of 1965), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, to the Union territory of Delhi, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. In section 1, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(2) It extends to the whole of the Union territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.".

2. In section 2,—

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

"(d) "Government" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;";

(b) after clause (f), the following clause may be inserted, namely:—

"(ff) "notification" means a notification published in the Delhi Gazette;".

3 In section 15, sub-section (4) shall be omitted.

ANNEXURE

The Punjab Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1965 as Extended to the Union territory of Delhi

PUNJAB ACT 14 OF 1965

An act to provide for the grant of National and Festival holidays and Casual and Sick Leave to persons empolyed in Industrial Establishments in the state of Punjab.

Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Punjab Industrial Establishments (National and Festival holidays and Casual and Sick Leave) Act, 1965.

(2) It extends to the whole of the Union Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires:—

(a) "day" means a period of twenty four hours beginning at midnight:

Proided that in the case of a worker who works in a shift which extends beyond midnight such period of twenty four hours shall begin when his shift ends.

(b) "worker" means—

(i) any person (including apprentice) employed in any industrial establishment to do any skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied; or

(ii) any other person employed in any industrial establishment whom the Goernment may, by notification, declare to be a worker for purposes of this Act;

(c) "employer", when used in relation to an industrial establishment means the person who has ultimate control over the affairs of industrial establshiment and where the affairs of any industrial establishment are entrusted to any other person, whether called a managing agent, manager, superintendent or by any other name, such other person shall be deemed to be the employer;

(d) "Government" means the Administrator of the Union territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution.

(e) "industrial establishment" means—

(i) any factory as defined in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), or any place which is deemed to be a factory under sub-section (2) of section 85 of that Act; or

(ii) any plantation as defined in clause (f) of section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (Central Act 69 of 1951);

(f) "Inspector" means an Inspector appointed under sub-section (1) of section 7;

(ff) "notification" means a notification published in the Delhi Gazette;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "wages" means all remunerations (whether by way of salary, allowance or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a workers in respect of his employment or of work done in such employment, but does not include—

(a) any bonus;

(b) the value of any house accommodation, supply of light, water, medical facilities or other amenity or of any service or of any concessional supply of food grains or other articles;

(c) any contribution paid or payable by the employer—

(i) to any pension or provident fund, and the interest which may have accrued thereon; or

(ii) for the benefit of the worker under any law for the time being in force;

(d) any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(e) any sum paid to the worker to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment; or

(f) any gratuity payable on the termination of employment.

3. **National and festival holidays.**—(1) Every worker shall, in each calendar year, be allowed in such manner and on such conditions as may be prescribed—

(a) three national holidays of one whole day each on the 26th January, 15th August and 2nd October; and

(b) four other holidays on any of the festivals specified in the Schedule appended to this Act;

Provided that for purposes of Clause (b), where atleast ten per cent of the workers of an industrial establishment so desire, they may, in lieu of the festival holidays, avail of two half holidays on any of the festival days of their choice specified in such Schedule after settlement in this behalf has been made between the employer and the representatives of the workers in such manner as may be prescribed.

(2) The Government may by notification add to the Schedule appended to this Act any festival, and thereupon the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.

4. **Casual and sick leave.**—Every worker shall in each calendar year, be allowed by the employer casual leave for seven days and sick leave for fourteen days in such manner and on such conditions as may be prescribed.

Explanation.—For purposes of this section, such conditions may provide that one kind of leave shall not be linked with another kind of leave, whether due under this Act, or under any other law for the time being in force.

5. **Wages.—(1) Notwithstanding** any contract to the contrary, every workers shall, for each of the national and festival holidays and of the days of casual or sick leave, be paid by the employed wages at a rate equivalent to his average daily wages;

Provided that—

(a) no worker shall be entitled to be paid such wages for any holiday or leave, other than a national holiday, if his name was not on the rolls of the industrial establishment continuouosly for a period of one month immediately preceding such holiday or leave;

(b) where a worker is entitled to sickness benefit under the Employees State Insurance Act, 1948, or sickness allowance under the Plantations Labour Act, 1951, he shall not be entitled to be paid such wages for the days of sick leave allowed to him under this Act; and

(c) where a worker is not entitled to such sickness benefit or sickness allowance, he shall be paid wages for the days of sick leave allowed to him under this Act at a rate equivalent to one half of his average daily wage.

(2) Where a worker works on any holiday allowed under section 3, he shall, at his option, be entitled to—

(a) twice his average daily wage for that day, or

(b) his average daily wage for that day and a substituted holiday with his average daily wage on any other day within ninety days from the day on which he so works.

Explanation.—For the purposes of this section, the average daily wage of a worker shall be computed on the basis of his total full-time wages during the preceding three calendar months, exclusive of any over time wages, if any:

Provided that the average daily wage of a worker who is paid wages by the day or at piece rate shall be computed on the basis of his wages

for the days on which he actually worked during the month immediately preceding such holiday or leave.

6. **Account of holidays and leave to be kept.**—Every employer shall keep in such form and manner as may be prescribed an account of festival holidays, casual leave and sick leave of every worker and every worker shall have access to such account.

7. **Inspectors.**—(1) The Government may, by notification appoint such persons or class of persons as it may think fit to be Inspectors for carrying out the purposes of this Act for such areas as may be specified in the notification.

(2) Every Inspector shall be deemed to be a public servant wtihin the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act XLV of 1860).

8. **Powers of Inspectors.**—Subject to any rules made by the Government in this behalf, an Inspector may, within the area for which he is appointed—

(a) enter at all responsible times any place which is, or which he has reason to believe to be, an industrial establishment;

(b) make such examination of the premises and of any prescribed registers, records and notices and take on the spot or otherwise the evidence of such person as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act;

(c) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act;

Provided that no one shall be required under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself.

9. **Penalties.**—Any employer who contravenes any of the provisions of sections 3, 4, 5 and 6 shall be punishable, for the first offence, with fine which may extend to one hundred rupees and for a second or subsequent offences, with fine which may extend to Rs. 250/-.

10. **Poker to recover wages.**—(1) Where a magistrate while convicting an employer under section 9 is satisfied that the worker has not been paid his due wages under this Act, the amount of which shall be determined by the magistrate. he shall direct the employer to pay such wages to the worker.

(2) The amount of wages determined under sub-section (1) shall for the purposes of recovery be deemed to be a fine imposed under this Act in addition to the penalty imposed under section 9 and shall be realised as such.

11. **Penalty for obstructing Inspector.**—Whoever willfully obstructs an Inspector in the exercise of any power conferred on him by or under this Act, or intentially omits to produce on demand in writing by an Inspector any register, record or notice in his custody which may be required to be kept in pursuance of this Act or of any rule made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

12. **Cognizance of offences.**—(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act or the rules made thereunder except on a complaint in writing by an aggrieved person or an Inspector.

(2) No Court below that of a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act or the Rules made thereunder.

13. **Exemptions.**—(1) Nothing contained in this Act shall apply to—

(a) any worker drawing wages exceeding five hundred rupees per mensem and employed mainly in managerial, administrative or supervisory capacity;

(b) any worker employed in any industrial establishment under the control of the Government or Central Government or any State Government to whom the Civil Service Rules or any other similar rules or regulations notified in this behalf by the Government, Central Government or any State Government as the case may be, apply; and

(c) any mine or oil field.

(2) The Government may in public interest by notification exempt either permanently or for any specified period any class of industrial establishments from all or any of the provisions of this Act subject to such conditions as the Government may deem fit.

14. **Rights and privileges under other laws, etc., not affected.**—Nothing contained in this Act shall affect any rights or privileges which any worker is entitled to receive under any other law, contract, custom or usage, if such rights or privileges are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act.

15. **Power to make rules.**—(1) The Government may, by notification and after previous publication, make rules for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the manner in which, and the conditions on which, national and other holidays shall be allowed to workers under section 3;

(b) the number of days for which, the manner in which, and the conditions on which, casual and sick leave shall be allowed to workers under section 4;

(c) the form and manner in which an account of festival holidays, casual leave and sick leave of workers shall be maintained by employers under section 6.

(3) In making a rule under this Act, the Government may provide that a contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

(4) [Omitted]

THE SCHEDULE

[*See* section 3(1)(b)]

New Year's Day
Basant Panchmi
Guru Ravi Dass's Birthday
Shivratri
Holi
Hola
Id-Ul-Fitr
Ram Naumi
Lord Mahavir's Birthday
Good Friday
Baisakhi
Id-ul-Zuha
Guru Arjan Dev's Martyrdom Day
Maharrum
Milad-ul-Nabi
Janam Ashtami
Dussehra
Maharishi Balmiki's Birthday
Diwali
Lala Lajpat Rai's Death Anniversary
Guru Nanak's Birthday
Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day
Christmas Day
Jor Mela Fateh Garh Sahib

Guru Gobind Singh's Birthday
Vishwa Karma Jainti
May Day

[No. U-11015/3/73-UTL-(125).]
M. R. SACHDEVA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 452 (अ).—केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 की 30) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्टी) अधिनियम, 1965 (1965 का पंजाब अधिनियम, 14) का, जो इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, विस्तार निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर करती है, अर्थात :—

उपान्तर

1. धारा 1 में, उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"।

2. धारा 2 में, —

(क) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(घ) 'सरकार' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;" ;

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(च च) 'अधिसूचना' से दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;" ।

3 धारा 15 में, उपधारा (4) का लोप कर दिया जाएगा

उपाबन्ध

दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित पंजाब औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्टी) अधिनियम, 1965

1965 का पंजाब अधिनियम 14

पंजाब राज्य में औद्योगिक स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्टी की मंजूरी हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन तथा आकस्मिक और बीमारी छुट्टी) अधिनियम, 1965 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** :—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "दिन" से मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है : परन्तु ऐसे कर्मकार की दशा में जो ऐसी पारी में काम करता है जो मध्यरात्रि उसको तक चलती है, ऐसी चौबीस घंटे की अवधि उस समय आरम्भ होगी जब पारी समाप्त होती है ।

(ख) "कर्मकार" से—

(i) ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है (जिसमें शिक्षु भी है) जो किसी औद्योगिक स्थापन में भाड़े या नाम के लिए, कुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित हो, चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त या विवक्षित हों ; या

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर्मकार घोषित करे ;

(ग) "नियोजक" से जब कि वह औद्योगिक स्थापन के सम्बन्ध में प्रयुक्त हो, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका औद्योगिक स्थापन के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण है और जहां किसी औद्योगिक स्थापन के कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं चाहे वह प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति नियोजक समझा जाएगा ;

(घ) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।

(ङ) "औद्योगिक स्थापन" से—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) की धारा 2 के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित कोई कारखाना या कोई स्थान अभिप्रेत है, जो उस अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन कारखाना के रूप में समझा गया है, या

(ii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम, 69) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित कोई बागान, अभिप्रेत है;

(च) "निरीक्षक" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(च च) "अधिसूचना" से दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "मजदूरी" से सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत है (चाहे वह वेतन, भत्ता या अन्यथा हों) जो धन के रूप में अभिव्यक्त हो या इस प्रकार अभिव्यक्त करने में समर्थ हो और जो किसी कर्मकार को उसके नियोजन या उस नियोजन में किए गए काम की बाबत उस दशा में देय होता जब कि नियोजन की शर्तें, अभिव्यक्त या विवक्षित, पूरी हो जातीं। किन्तु उसमें निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) कोई बोनस,

(ख) किसी गृह वाससुविधा, विद्युत प्रदाय, पानी, चिकित्सीय सुविधाओं या अन्य सुख सुविधा या किसी सेवा या किसी रियायती दर पर खाद्यान्न या अन्य पदार्थों की पूर्ति का मूल्य ;

(ग) नियोजक द्वारा निम्नलिखित को संदत्त या देय कोई अभिदाय—

(i) जो किसी पेंशन या भविष्यनिधि और ऐसे ब्याज के संबंध में है जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ; या

(ii) जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मकार के फायदे के लिए हो ;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) जो नियोजक द्वारा नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर हुए विशेष व्यय को चुकाने के लिए कर्मकार को संदत्त कोई रकम ; या

(च) नियोजन की समाप्ति पर देय कोई पदान ।

3. **राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन** :—(1) हर कर्मकार को, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं—

(क) 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को पूरे तीन राष्ट्रीय अवकाश दिन ; और

(ख) इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं उत्सवों पर चार अन्य अवकाश दिन, अनुज्ञात किए जाएंगे ;

परन्तु खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए जहां किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों का कम से कम दस प्रतिशत ऐसी इच्छा करे, तो वे, नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधियों के बीच इस निमित्त, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, समझौते के पश्चात् उत्सव अवकाश दिनों के बदले ऐसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपनी इच्छा के किन्हीं उत्सव दिनों पर दो आधे अवकाश दिन ले सकेंगे ।

(2) सरकार इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में, अधिसूचना द्वारा, कोई उत्सव जोड़ सकेगी और उस पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

4. **आकस्मिक और बीमारी छुट्टी** :—प्रत्येक कर्मकार को, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं, नियोजक द्वारा सात दिन की आकस्मिक छुट्टी और चौदह दिन की बीमारी छुट्टी अनुज्ञात की जाएगी ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी शर्तें यह उपबन्ध कर सकेंगी कि एक प्रकार की छुट्टी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जाएगी चाहे वह इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन देय हो।

5. **मजदूरी**:—(1) किसी संविदा के प्रतिकूल होने पर भी नियोजक द्वारा प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक राष्ट्रीय और उत्सव अवकाश दिन और आकस्मिक या बीमारी छुट्टी के दिन के लिए अपनी औसत दैनिक मजदूरी के बराबर दर पर मजदूरी दी जाएगी ;

परन्तु—

(क) कोई कर्मकार राष्ट्रीय अवकाशदिन से भिन्न किसी अवकाशदिन या छुट्टी के लिए ऐसी मजदूरी के संदाय का हकदार नहीं होगा यदि उसका नाम ऐसे अवकाशदिन या छुट्टी से ठीक पहले एक मास की अवधि के लिए लगातार औद्योगिक स्थापन के रजिस्टर पर न रहा हो ;

(ख) जहां कोई कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन बीमारी सुविधा का या बागान श्रम, अधिनियम, 1951 के अधीन बीमारी भत्ते का हकदार है, वहां वह इस अधिनियम के अधीन उसे अनुज्ञात बीमारी छुट्टी के दिनों के लिए ऐसी मजदूरी दिए जाने का हकदार नहीं होगा ; और

(ग) जहां कोई कर्मकार ऐसी बीमारी सुविधा या बीमारी भत्ते का हकदार नहीं है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात बीमारी छुट्टी के दिनों के लिए मजदूरी उसकी औसत दैनिक मजदूरी की आधी दर के बराबर दी जाएगी।

(2) जहां कोई कर्मकार धारा 3 के अधीन अनुज्ञात किसी अवकाशदिन को काम करता है, तो वहां वह अपने विकल्प पर—

(क) उस दिन के लिए अपनी औसत दैनिक मजदूरी का दुगुना पाने का हकदार होगा, या

(ख) उस दिन के लिए अपनी औसत दैनिक मजदूरी और जिस दिन वह इस प्रकार काम करता है उस दिन से नब्बे दिन के अन्दर किसी अन्य दिन अपनी औसत दैनिक मजदूरी सहित एक प्रतिस्थापित अवकाशदिन का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मकार की औसत मजदूरी, किसी अतिकालिक मजदूरी, यदि कोई हो, को छोड़कर पूर्ववर्ती तीन कैलेण्डर मासों, के दौरान उसकी कुल पूर्ण-कालिक मजदूरी के आधार पर संगणित की जाएगी :

परन्तु ऐसे कर्मकार की औसत दैनिक मजदूरी जिसे दैनिक मजदूरी या कार्य दर पर मजदूरी दी जाती है उन दिनों की उसकी औसत मजदूरी के आधार पर संगणित की जाएगी जिन दिनों उसने ऐसे अवकाशदिन या छुट्टी के ठीक पूर्ववर्ती मास के दौरान वास्तव में काम किया था।

6. **अवकाश दिनों और छुट्टियों का लेखा रखा जाना**:—प्रत्येक नियोजक ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, प्रत्येक कर्मकार का उत्सव अवकाशदिनों, आकस्मिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी का लेखा रखेगा और हर कर्मकार की ऐसे लेखे तक पहुंच होगी।

7. **निरीक्षक**:—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग को, जिसे वह ठीक समझे, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम XLV) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा ।

8. **निरीक्षकों की शक्तियां** :—इस निमित्त सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधिन रहते हुए कोई निरिक्षक उस क्षेत्र के अन्दर जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है—

(क) किसी स्थान में जो औद्योगिक स्थापन है या जिसके बारे में उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है, कि वह औद्योगिक स्थापन है, सभी उपयुक्त समयों में प्रवेश कर सकेगा :

(ख) परिसर और किन्ही विहित रजिस्टरों अभिलेखों और सूचनाओं की ऐसी परीक्षा कर सकेगा और उसी स्थान पर या अन्यथा ऐसे व्यक्ति का साथ ले सकेगा जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझें :

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हों :

परन्तु इस धारा के अधिन किसी भी व्यक्ति से स्वयं को अपराध में फंसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई साक्ष्य देने के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

9. **शक्तियां** :—कोई नियोजक, जो धारा 3, 4, 5 और 6 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराधों के लिए जुर्माने से, जो 250 रु० तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

10. **मजदूरी वसूल करने की शक्ति** :—(1) जहां धारा 9 के अधीन किसी नियोजक को दोषसिद्ध करते समय किसी मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कर्मकार को देय मजदूरी जिसकी रकम मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाएगी नही दी गई है, वहां वह कर्मकार को ऐसी मजदूरी देने के लिए नियोजक को निदेश देगा । (2) वसूली के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के अधीन अवधारित मजदूरी की रकम को धारा 9 के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना समझा जाएगा और इस रूप में वसूल किया जाएगा ।

11. **निरीक्षक को बाधा पहुंचाने के लिये शास्ति** :—जो भी कोई निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में जानबूझकर बाधा पहुंचाता है, या किसी निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर अपनी अभिरक्षा में का कोई रजिस्टर, अभिलेख या सूचना, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में रखना अपेक्षित है, साशय पेश नही करता है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

12. **अपराधों का संज्ञान** :—(1) कोई भी न्यायालय, किसी व्यथित व्यक्ति या किसी निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में शिकायत करने के सिवाए, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(2) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे का कोई न्यायालय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नही करेगा ।

13. **छूटें** :—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) प्रति मास पांच सौ रुपये से अधिक मजदूरी पाने वाले और मुख्य रूप से प्रबन्धकीय, प्रशासनिक या पर्यवेक्षी हैसियत में नियोजित कोई कर्मकार;

(ख) सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई कर्मकार जिसे यथास्थिति सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित सिविल सेवा नियम या कोई अन्य वैसे ही नियम या विनियम लागू होते हैं; और

(ग) कोई खान या तेल क्षेत्र ।

(2) सरकार, लोक हित में, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, औद्योगिक स्थापन के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी से स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, अधिसूचना द्वारा छूट दे सकेगी ।

14. **अन्य विधियों आदि के अधीन अप्रभावित अधिकार और विशेषाधिकार** :—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किन्हीं अधिकारों या विशेषाधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिन्हें कोई कर्मकार किसी अन्य विधि, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अधीन पाने का हकदार है, यदि ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार, उसके लिए उन अधिकारों या विशेषाधिकारों से जिनके लिए वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होता, अधिक अनुकूल है ।

15. **नियम बनाने की शक्ति** :—(1) सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित का उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिन पर, कर्मकारों को धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय और अन्य अवकाशदिन अनुज्ञात होंगे;

(ख) दिनों की संख्या जिसके लिए, वह रीति जिससे और वे शर्तें जिन पर कर्मकारों को धारा 4 के अधीन आकस्मिक और बीमारी छुट्टी अनुज्ञात होगी ।

(ग) वह प्ररूप और रीति जिससे कर्मकारों के उत्सव अवकाश दिनों, आकस्मिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी का लेखा नियोजकों द्वारा धारा 6 के अधीन रखा जाएगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम बनाते समय, सरकार यह उपबंध कर सकेगी कि उसका कोई उल्लंघन, जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) (लुप्त किया गया)

अनुसूची

[धारा 3(1)(ख) देखिए]

नव वर्ष दिवस

बसंत पंचमी

गुरु रविदास जन्म दिवस

शिवरात्रि

होली

होला

ईद-उल-फितर

राम नवमी

लार्ड महावीर जन्म दिवस

गुड फ्राइडे

बैशाखी

ईद-उल-जुहा

गुरु अर्जुनदेव शहीद दिवस

मुहर्रम

मिलाद-उल-नबी

जन्माष्टमी

दशहरा

महर्षि वाल्मीकि जन्मदिवस

दिवाली

लाला लाजपतराय बरसी

गुरु नानक जन्म दिवस

गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस

क्रिसमस दिवस

जोर मेला फतेहगढ़ साहब

गुरु गोविन्द सिंह जन्मदिवस

विश्वकर्मा जयन्ती

मई दिवस

[सं० यू-11015/3/73-यू०टी०एल०-(125)]

एम० आर० सचदेव, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973